पूर्वी राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधाएं

4131. श्री शंकर दयाल सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी राज्यों में तैनात किये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य (श्री मंत्री एम० एम० जेकब): (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में कार्य कर रहे केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं:—

(i) तैनाती/प्रतिनियुक्ति का निश्चित कार्यकाल।

(ii) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए वरीयता; गोपनीय रिपोर्टों में विशेष उल्लेख।

(iii) विशेष (कार्य) भत्ता।

(iv) विशेष प्रतिपूरक भत्ता।

(v) प्रथम बार नियुक्ति पर यात्रा भत्ता।

(vi) स्थानांतरण होने पर यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।

(vii) स्थानांतरण होने पर निजी सामान ले जाने के लिए सड़क मील-भाड़ा।

(viii) छुट्टी के साथ कार्य ग्रहण समय।

(x) छुट्टी यात्रा रियायत।

(x) बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता/छात्रावास आर्थिक सहायता।

(xi) मकान किराया भत्ता देने के बारे में रियायतें।

जिस स्थान पर पहले तैनाती थी, उस स्थान पर टेलीफोन की सुविधा।

उत्तर-पूर्वी राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारी, कुछ एक शर्तों के आधार पर, तैनाती के पिछले स्थान पर सामान्य पूल आवास को रखे रहने/वैकल्पिक सामान्य पूल आवास के आवंटन संबंधी सुविधाओं के पात्र भी हैं।

Holding of Enquiry into Netaji's Disappearance

4132. SHRI VISHNU KANT SHASTRI:
SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of India, during the tenure of her immediate predecessor, had taken a decision to hold an investigative inquiry into Netaji's disappearance;

(b) if so, what is the present status of the implementation of the decision; and

(c) if no action has been initiated as yet, what are the reasons that prevented Government to implement that decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.